न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 2863–पीबीआर/2016 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–7–2016 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल, प्रकरण कमांक 402/अपील/2015–16.

.....

भरतारसिंह लोधी पुत्र स्व.दयाचंद लोधी
निवासी ग्राम सुनहेरा तहसील बेगमगंज
जिला रायसेन म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–लक्ष्मनसिंह पुत्र स्व0दयाचंद लोधी
2–इंदरसिंह उर्फ भरतसिंह पुत्र स्व0दयाचंद लोधी
3–श्रीमती बैनीबाई पत्नि स्व0दयाचंद लोधी
निवासी ग्राम सुनहेरा तहसील बेगमगंज
जिला रायसेन म0प्र0
4–श्रीमती ब्रजेशबाई पुत्री स्व0दयाचंद लोधी पत्नि श्री बालमुकुंद लोधी,
निवासी ग्राम रमपुराकलां तहसील गैरतगंज जिला रायसेन

.....अनावेदकगण

.....

श्री आर0के0जैन, अभिभाषक–आवेदक
श्री डी0डी0मेघानी, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आदेश ::

(आज दिनांक 15/2/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8.7.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक के पूर्वज स्व0दयाचंद द्वारा तहसीलदार के समक्ष उसके भूमिस्वामी स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि के बटवारा हतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 1/अ–27/14–15 दर्ज कर दिनांक 12–11–2014 को बटवारा आदेश पारित किया । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 23–2–16 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया जाकर मृतक भूमिस्वामी दयाचंद के वैध वारिसानों के मध्य बराबर बटवारा स्वीकृत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–7–2016 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) संहिता की धारा 178–ए के अन्तर्गत यदि कोई भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में पुत्रों के मध्य बटवारा करना चाहता है, तब सभी वैध वारिस पुत्र एवं पुत्रियों को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिये, परन्तु तहसीलदार द्वारा मृतक भूमिस्वामी दयाचंद के वैध वारिसों के संबंध में न तो कोई जानकारी प्राप्त की गई और न ही उन्हें सूचना व सुनवाई का अवसर दिया गया । तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में विधि की प्रकिया का पालन नहीं किया गया है और एक दिन में सम्पूर्ण कार्यवाही करते हुये बटवारा आदेश पारित किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 व 2 के पिता द्वारा पुत्रों के पक्ष में वसीयतनामा निष्पादित किया गया है उसमें पुत्रियों को नगद राशि दिया जाना प्रस्तावित किया गया है, परन्तु पत्नी को भूमि दिये जाने संबंधी कोई उल्लेख नहीं है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 व 2 द्वारा ऐसा कोई लेख पत्र, खसरा, नामान्तरण पंजी तहसील न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई है कि पैतृक संपत्ति में अनावेदक कमांक 3 व 4 को कौन सी भूमियॉ दी गई है, जबकि आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमि पैतृक होने संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं । ऐसी स्थिति में बटवारा विधि विरूद्ध एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये है :–

(1) स्व0दयाचंद द्वारा अपने जीवनकाल में प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कराकर 8.23 एकड़ भूमि लक्ष्मणसिंह व 8.27 एकड़ भूमि इंदरसिंह को दी है । शेष 16.33 एकड़ भूमि अपने पास रखी है जिसमें आवेदक व उसके पुत्र का हक व हिस्सा है।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा दयाचंद की संपत्ति का बटवारा आदेश पारित किया गया है जिसे निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई थी, अतः अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) आवेदक एवं अनावेदकगण एक ही ग्राम में निवास करते हैं अतः यह मान्य किये जाने योग्य नहीं है कि उन्हें बटवारा आदेश की जानकारी नहीं है । सामान्यतः प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधार पर नहीं किया जाना चाहिये, इसलिये भी अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश वैधानिक आदेश है, जिसे स्थिर रखा जाये ।

(4) संहिता की धारा 178–ख वर्ष 1998 में स्थापित की गई है, इससे पहले यह प्रावधान नहीं था कि कोई भी पिता अपने जीवनकाल में भूमि का बटवारा करा सकता है । चूँकि कोई भी भूमिस्वामी यदि अपने विधिक वारिसानों के मध्य बटवारा कराना चाहता है तो उसे विलेख निष्पादित कराना पड़ता था । यदि कोई भूमिस्वामी अपने जीवनकाल में बटवारा हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करता है तब बटवारा हेतु तहसीलदार को सक्षम बनाया गया है, अतः स्व0दयाचंद के आवेदन पत्र

पर तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है और बटवारा आदेश से आवेदक के स्वत्व प्रभावित नहीं होते हैं ।

(5) शपथकर्ता की एक पुत्री एवं तीन पुत्र है । शपथकर्ता ने पूर्व में बटवारा करा दिया है । अनावेदकगण मिली भूमि पर काबिज हैं । शपथकर्ता ने अपने पुत्र अनावेदक कमांक 1 को 8.23 एकड़ भूमि व अनावेदक कमांक 2 को 8.27 एकड़ भूमि बटवारे में दी है व शेष भूमि अपने पास रखी है जिसमें एक पुत्र व पुत्री का हिस्सा है । शपथकर्ता ने पूर्व में अनावेदक कमांक 1 व 2 को पूर्व में हिस्सा दे दिया था और उसी आधार पर उनका कब्जा है और इसी आधार पर बटवारा किया जाये । इस प्रकार स्व0 दयाचंद ने पूर्व में किये गये पारिवारिक बटवारे के अनुसार अनावेदक कमांक 1 व 2 को उक्त भूमि बटवारे में दी थी जो उसे संहिता की धारा 178–क के अनुसार देने का विधिक अधिकार था । इस परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय का आदेश दिनांक 12–11–14 विधिक आदेश था जिसे निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 23–2–16 को अवैध अपीलाधीन आदेश पारित किया था । अतः न्यायालय अपर आयुक्त ने निगरानीअधीन आदेश दिनांक 8–7–16 संशोधन आदेश दिनांक 27–7–16 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को निरस्त कर न्यायिक एवं विधिक आदेश पारित किया है जिसे यथावत् रखकर निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किया जाना न्यायहित में है ।

(6) हिन्दू विधि के अनुसार पुत्री को भी पुत्र के समान पिता की संपत्ति में हक है परन्तु यह हक तब है जब पिता के द्वारा कोई वसीयत न की गई हो । इस प्रकरण में पिता के द्वारा रजिस्टर्ड वसीयतनामा में यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि अपने हिस्से की 1/4 भाग भूमि लक्ष्मणसिंह एवं इंदरसिंह के पक्ष में वसीयत करता है । इसमें यह भी दर्शाया गया है कि अपने तीनों पुत्रों को अपनी संपत्ति का विभाजन कर शेष स्वयं के हिस्से की 1/4 भूमि की वसीयत करता है । इस वसीयत में यह भी उल्लेख है कि पुत्री को अपना हिस्सा नगद रूप में दिया जाकर उसका पैतृक कृषि भूमि में कोई हित हक न होकर मुझ वसयीतकर्ता व पुत्रों के मध्य बराबर बराबर विभाजन किया जाकर अपने हिस्से की 1/4 भूमि का स्वतंत्र

मालिक काबिजधारी हूँ । मूल भूमिस्वामी दयाचंद को अपने तीनों पुत्रगण को अपने स्वामित्व की बराबर बराबर भूमि देने के उपरांत अपने हक और हिस्से की भूमि की वसीयत करने का वैधानिक अधिकार था । अतः रजिस्टर्ड वसयीतनामे को भी ध्यान में रखते हुये निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त किया जाना न्यायहित में है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा बटवारा आदेश पारित करने में मृतक भूमिस्वामी के सभी वारिसानों को सूचना एवं सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया है, ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा पारित आदेश अवैधानिक होने से निरस्त किये जाने योग्य था जिसे निरस्त करने में तो अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उचित कार्यवाही की गई है, परन्तु उनके द्वारा भी बटवारे में हितबद्ध सभी पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत दावे पर विचार नहीं कर आदेश पारित किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी का आदेश भी अनुचित होने से उसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है, परन्तु तहसील न्यायालय के अवैधानिक एवं अनियमित आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि एवं न्याय की भूल की गई है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाये कि वे प्रश्नाधीन भूमि के सभी सह–खातेदारों को सूचना एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप बटवारा आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण परिप्रेक्ष्य में संहिता के प्रावधानों के अनुरूप निराकरण करने हेतु तहसीलदार को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर